प्रपत्र -3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक / व . म. अ. का स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन

क्र स.	जानकारी	विवरण
1.	परियोजना का नाम	Diversion of Revenue Forest for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur- Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh. Pkg I(Km 0.000 to Km. 53+300)
2.	आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	सड़क चौड़ीकरण परियोजना
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला : बिलासपुर वन मंडल : बिलासपुर परयोजना स्थल : NN-111 (New NH-130), पेंड्रीडीह से पथरापली
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	
	क. आरक्षित वन ख. सीमांकित संरक्षित वन ग. असीमांकित संरक्षित वन घ. राजस्व वन क्षेत्र	निरुता 11 11 24.585 है. विस्तृत विवरण संग्रमत है।
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनो की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल / सागौन / मिश्रित साईट क्वालिटी – I/II/III/IVA/IVB/V घनत्व – 0.3 / >0.3 से 0.6 तुक / >0.6
7.	आवेदित क्षेत्रों में वक्षो का विवरण	वृत्रों का विवरण संग्लन है।
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	Prim
9.	आवेदित क्षेत्र की (विषेशकर खनिज प्रकरणों में) मुख्या मार्ग से (पी. डब्लू. डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	माना मेंग्रे हैं।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रिय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर बोडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के ५ वर्ग. कि. मी. के अंर्गत है अथवा नहीं ? यदि हाँ, तोह संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें	नहीं हैं

.

वन मण्डलाय

	1	
11.	आवेदित वन क्षेत्र के आलावा अन्य गैर वन क्षेत्र	17/201
	विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु	
	उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन	
	प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के २० वर्ग कि.	
	मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरिक्षण कर जिलाध्यक्ष	
	/ भारत सर्कार / राज्य सर्कार द्वारा पूर्व स्वीकृत	
	खदानों कि संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी	
	दर्शाया जावे।)	
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का	कोई नियम उन्लधन नहीं किया गया
	उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हाँ, तोह	E
	संक्षिप्त विवरण देवें।	

प्रमाण -पत्र

उपरोक्त जानकारी/ विवरण मेरे द्वारा किये गए भौतिक निरिक्षण के आधार पर पर है । आवेदक द्वारा मांग कि गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुसंशा की जाती है / नहीं की जाती है ।

निरिक्षण स्थल - स्नियी, किलतारा, रतनपुर

दिनांक –

वन बण्डलीधिकारी, प्रमालका, विसासहर (छ. म /

वन संरक्षक / व.म.अ.के हस्ताक्षर

बिलासपुर वन मंडल

मय सील

CHECK LIST

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest Land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **National Highways Authority of India** for diversion (Under FCA-1980) of **24.585 ha**. Forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for **Four Laning of N.H.-111 (Km. 0.000 to 53.300) in** Distt. Bilaspur. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on ...**14**.05...**8**.....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a

Revenue Forest measuring 24.585 Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col -2 Part 1 is unavoidable and is barest minimum required for Four lane project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so the details there of-**NIL**

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so the details there of with N.O.C. from

competent authority. If required-NIL

(A) The User agency has not violated provisions of Forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started with out proper sanction:- YES

(b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act 1980 provision. A detail report as per para 1.9 of chapter I part C of Handbook of forest Forest (Conservation) Act 1980 is attached-**NO**

Specific Recommendation for acceptance of otherwise of the proposal:

RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE.

Place-Bilaspur Date . 26/07/18

N.B. x- State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted xx- Out of (a) & (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter No. 2-/2000 –FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment & Forests Government of India for proposal involving less than 40 Hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the CF is required.

व.मं.अ., बिलासपुर ब.मं.

प्रमाण –पत्र

(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट)

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (बिलासपुर से पश्रापाली किमी 0.000 से किमी 53.300 तक) के अंतर्गत वन प्रभाग बिलासपुर (किमी 0.000 से किमी 53.300 तक) के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में |

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा वन प्रभाग बिलासपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 के छह चौड़ीकरण हेतु वन प्रभाग बिलासपुर के अंतर्गत (किमी 0.000 से किमी 53.300 तक) न्यूनतम 24.585 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग होगा तथा कुल 1641वृक्ष प्रभावित हो रहे है | उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है | दिनांक 14-05/2018

परियोजनी निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर

वन मंडर

बिलासपुर द.मं.अ., बिलासपुर ब.मं.